क्रम संख्या–149

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 10 सितम्बर, 2007 ई0
भाद्रपद 19, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3

संख्या 683/XXXI(3)/2007–सु0–42/2006
देहरादून, 10 सितम्बर, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–07

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2007 कही जाएगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली, 2006 में नीचे स्तम्भ–1 में उल्लिखित किये गये वर्तमान नियम 15(1) से 15(11) एवं नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्– — रक्षक पद के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
15. (1) सचिवालय/विधान भवन रक्षक के पदों की सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से रिक्तियां अधिसूचित करेगा:–	15. (1) (क) सचिवालय/विधान भवन रक्षक पद पर सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्ररूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा;
	(ख) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र उप नियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा:–
(एक) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,	(एक) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा, और	(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और
(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।	(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
	(ग) उप नियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
15. (2) भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–	15. (2) भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष	(एक) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष
(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। सदस्य	(दो) अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। सदस्य

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य सदस्य पिछड़े वर्गों का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य सदस्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पद की सदस्य अपेक्षाओं के अनुसार जिसके लिए भर्ती की जानी हो, सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की सदस्य अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
15. (3) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से, जो नियम–13 में विहित न्यूनतम मानकों तक आये हों, प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।	15. (3) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से, जो नियम–13 में विहित न्यूनतम मानकों तक आये हों, प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।
15. (4) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके अंकों को सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक आये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दिये गये अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे।	15. (4) आवेदन–पत्रों की जांच करने के उपरान्त नियम–13 के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम अर्हता रखने और निर्धारित आयु सीमा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्न परीक्षाएं आयोजित की जायेंगीः– (एक) चयन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा एक सौ अंकों की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का प्रश्न–पत्र होगा तथा यह परीक्षा हाई स्कूल स्तर की होगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। भर्ती हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions with Multiple Choice) की होगी, जिसमें हाई स्कूल स्तर का प्रश्न–पत्र होगा। (दो) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
	(तीन) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
	(चार) लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक (Negative Marking) के लिए एक अंक के प्रश्न पर त्रुटिपूर्ण उत्तर होने पर (–) 0.25 अंक प्रदान किये जायेंगे।
	(पांच) परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in या दैनिक समाचार–पत्र में जिसका व्यापक परिचालन है, में प्रकाशित किया जायेगा।
	(छः) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
15. (5) चयन समिति अभ्यर्थियों के प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।	विलोपित
15. (6) चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	विलोपित
15. (7) पात्र अभ्यर्थियों से, जैसा नियम 13 में विहित है, शारीरिक परीक्षण कराये जाने की अपेक्षा की जायेगी और चयन के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।	15. (7) पात्र अभ्यर्थियों से, जैसा नियम 13 में विहित है, शारीरिक परीक्षण कराये जाने की अपेक्षा की जायेगी और चयन के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।
15. (8) चयन के लिए परीक्षा एक सौ अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:–	विलोपित

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
(क) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा में, जैसा नियम में विहित है, प्राप्तांकों के प्रतिशत का सत्तर प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।	विलोपित
(ख) छंटनीशुदा कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे जो चयन परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पन्द्रह प्रतिशत होगाः– (एक) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए — पांच अंक (दो) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए — प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक	(ख) छंटनीशुदा कर्मचारी को, सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए 05 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार की जायेगीः–
(ग) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे जो चयन परीक्षा हेतु कुल अंकों का अधिकतम पांच प्रतिशत होगाः– (एक) यदि अभ्यर्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — पांच अंक (दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — चार अंक (तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो — तीन अंक (चार) यदि अभ्यर्थी विश्व-विद्यालय / महा-विद्यालय/विद्यालय स्तर का खिलाड़ी हो — दो अंक	विलोपित
15. (9) उप नियम (8) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन परिणाम का मूल्यांकन प्राप्त होने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात्, चयन समिति नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का चार गुना होगी। साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा।	15. (9) नियम 15(4), 15(7) एवं 15(8) (ख) के अधीन परिणाम का मूल्यांकन प्राप्त होने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात्, चयन समिति नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रवीणता सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
15. (10) उप नियम (9) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंक, उप नियम (8) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।	विलोपित
15. (11) नियम 15 के उप नियम (6) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।	15. (11) नियम 15 के उप नियम (9) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।
16. पदोन्नति के प्रयोजन हेतु चयन समिति का गठन किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख मूल नियमावली में नहीं है अतः इस व्यवस्था का उल्लेख किया जा रहा है।	16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर निम्नवत् चयन समिति द्वारा की जायेगी:–
	(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष
	(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य
	(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न, एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — सदस्य

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम
	(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पद की सदस्य अपेक्षाओं के अनुसार, जिसके लिए भर्ती की जानी हो, सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
	(2) फीस–चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
	(3) अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण– अभ्यर्थियों को ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर भाग–4 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी दी जायेंगी।

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 683/XXXI(3)/2007--SU--42/2006, dated September 10, 2007 for general information :

No. 683/XXXI(3)/2007--SU--42/2006
Dated Dehradun, September 10, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor is pleased to make the following rules with a view to the amending the Uttarakhand Secretariat Security Service Rules, 2006 :--

THE UTTARAKHAND SECRETARIAT SECURITY SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2007

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Secretariat Security Service (Amendment) Rules, 2007. Short title and Commencement.

(2) They shall come into force at once.

Procedure for direct recruitment to the post of Guard

2. In the Uttarakhand Secretariat Security Service Rules, 2006, for existing rule 15(1) to 15(11) and rule 16 as set out in Column-1 below the rule as set out in Column-2 shall be substituted namely :--

Column–1 Existing Rules	Column–2 Rules as hereby Substituted
15. (1) For the purpose of direct recruitment to the post of Secretariat/Vidhan Bhawan Guard, the Appointing Authority shall notify the vacancies in the following manner :--	15. (1) (a) Appointing Authority will publish format of application form for direct recruitment in the post of Secretariat/Vidhan Bhawan Guard in two news papers having wide circulation;
	(b) For direct recruitment, the Appointing Authority in the following manner, will invite application form in published format as prescribed in sub-rule (1) :--
(I) By advertising in the daily newspapers having wider circulation;	(i) By advertisement in the news papers having wide circulation.
(II) By pasting the notice on the notice board of the office, or advertisement through Radio/Television or Employment newspapers;	(ii) By affixing information on the notice board of the office, or on the basis of advertisement by Radio/ Doordarshan and other employment news papers,
(III) By notifying the vacancies to the Employment Exchange.	(iii) On the basis of vacancy notified to employment office;
	(c) At the time of vacancies notified under sub-clause (b) the format of the application form will not be published again.
15. (2) For the purpose of recruitment a Selection Committee shall be constituted comprising :--	15. (2) For the purpose of recruitment a Selection Committee shall be constituted comprising :--
(I) Appointing Authority **Chairman**	(i) Appointing Authority **Chairman**
(II) If the Appointing Authority does not belong to Schedule Caste or Schedule Tribe an officer belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be nominated by the Appointing Authority. If the Appointing Authority belongs to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, an officer other than belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe or other backward classes shall be nominated by the Appointing Authority. **Member**	(ii) If the Appointing Authority does not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, an officer belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be nominated by the Appointing Authority. If the Appointing Authority belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe, an officer other than belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes shall be nominated by the Appointing Authority. **Member**

Column–1 Existing Rules		Column–2 Rules as hereby Substituted	
(III) If the Appointing Authority does not belong to other Backward Classes, an officer belonging to other backward classes shall be nominated by the Appointing Authority. If the Appointing Authority belongs to other backward classes, an officer other than belonging to other backward classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Appointing Authority.	**Member**	(iii) If the Appointing Authority does not belong to Other Backward Classes, an officer belonging to Other Backward Classes shall be nominated by the Appointing Authority. If the Appointing Authority belongs to Other Backward Classes, an officer other than belonging to Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Appointing Authority.	**Member**
(IV) The Appointing Authority shall nominate an officer having adequate knowledge of the related field according to the requirements of the post for which recruitment is to be made.	**Member**	(iv) The Appointing Authority shall nominate an officer having adequate knowledge of the related field according to the requirements of the post for which recruitment is to be made.	**Member**
15. (3) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in the competitive examination who have come up to the minimum standards prescribed in rule 13.		15. (3) The Selection Committee shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in the competitive examination who have come up to the minimum standards prescribed in rule 13.	
15. (4) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.		15. (4) The following examination of candidates having required minimum qualification and prescribed age, will be held after the verification of the application forms, according to Rule 13. (i) There will be a written examination of 100 marks for the selection, which will include General Hindi, General Knowledge and General Studies, which will be of High School standard. The candidates shall be required to obtain minimum 40 percent marks in these examinations. For the selection written examination shall carry objective type questions with multiple choice, which will have the High School standard. (ii) Candidates will be permitted to carry question booklet with themselves. (iii) Answer Sheet of written examination will be in duplicate with carbon copy and the candidates will be permitted to carry the duplicate copy of the answer sheet with themselves himself after the examination.	

Column–1 Existing Rules	Column–2 Rules as hereby Substituted
	(iv) 0.25 marks against wrong answer from question of one mark will be given as negative marking.
	(v) After the examination the answer sheet of the written examination will be published in the website of Uttarakhand www.ua.nic.in or in daily news paper having wide circulation.
	(vi) The marks obtained by the candidates in the written examination will be published on the website of Uttarakhand with the declaration of the result of the selection.
15. (5) The Selection Committee shall prepare a list of the candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the written examination and at the interview. If two or more candidates obtain equal marks the name of the candidate obtaining more marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of vacancies.	**Deleted**
15. (6) The Selection Committee shall forward the list to the Appointing Authority.	**Deleted**
15. (7) The eligible candidates shall be required to undergo physical test as prescribed under rule 13 and only those candidates fulfilling the prescribed minimum standards for the post shall be considered.	15. (7) The eligible candidates shall be required to undergo physical test as prescribed under rule 13 and only those candidates fulfilling the prescribed minimum standards for the post shall be considered.
15. (8) The test for selection shall carry 100 marks. The merit list of the candidates shall be prepared in the following manner :--	**Deleted**
(A) 70% of the marks obtained at the minimum qualifying examination for the post as prescribed in rule, shall be awarded to each candidate.	**Deleted**
(B) Marks to the retrenched employees shall be awarded in the following manner, subject to the maximum of 15% of the total marks fixed for the test for selection:-	(B) The retrenched employees shall be awarded 5 marks for the service of complete One Year and the maximum marks shall be 15. As disclosed by the marks obtained in the written examination and the total marks obtained in other evaluations, a merit list will be prepared.
(I) For first completed year of service — 5 Marks	
(II) For the next and each completed year of service — 5 Marks for each year	

Column–1 Existing Rules	Column–2 Rules as hereby Substituted
(C) Marks to the sportsman shall be awarded in the following manner subject to the maximum of 5% of the total marks of the test for selection :-- (I) If the candidate is a sportsman of International standard — 5 Marks (II) If the candidate is a sportsman of National standard — 4 Marks (III) If the candidate is a State level sportsman — 3 Marks (IV) If the candidate is sportsman of University/College/ School level. — 2 Marks	**Deleted**
15. (9) After the evaluation of the results obtained under Clause (A), (B) and (C) of sub-rule (8) are tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with to rule 6 call for interview. The number of candidates to be called for interview shall be four times the number of vacancies. The interview shall carry 10% of the total marks fixed for the test for selection.	15. (9) After the evaluation of the results, obtained under sub-rule (4), (7) and clause (b) of sub-rule (8) of rule 15 are tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribe, Other Backward Classes and other categories in accordance with rule 6, prepare merit list. If two or more candidates obtain equal marks, in total the candidate Securing higher marks in written examination shall be placed higher in the selection list.
15. (10) Marks obtained by each candidate in the interview under sub-rule (9) shall be added to the marks obtained by him in the written test under sub-rule (8). Final select list shall be prepared on the basis of such aggregate of the marks obtained by each candidate. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. The number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies.	**Deleted**
15. (11) The select list referred to in sub-rule (6) of rule 15 shall be forwarded to the Appointing Authority.	15. (11) The select list referred to in sub-rule (9) of rule 15 shall be forwarded to the Appointing Authority.
16. For the purpose of Recruitment by Promotion of the Selection Committee : Due to no provision for the original service rule, previously hence this provision is described here.	16. (1) Recruitment by Promotion shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, through the Selection Committee which shall be constituted in following manner :--

Column–1 Existing Rules	Column–2 Rules as hereby Substituted	
	(i) Appointing Authority	**Chairman**
	(ii) If the Appointing Authority does not belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, an officer belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be nominated by the Appointing Authority. If the Appointing Authority belongs to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, an officer other than belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes shall be nominated by the Appointing Authority.	**Member**
	(iii) If the Appointing Authority does not belong to Other Backward Classes, an officer belonging to Other Backward Classes shall be nominated by the Appointing Authority. If the Appointing Authority belongs to Other Backward Classes, an officer other than belonging to Other Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall be nominated by the Appointing Authority.	**Member**
	(iv) The Appointing Authority shall nominate an officer, having adequate knowledge of the related field according to the requirements of the post for which recruitment is to be made.	**Member**
	(2) Fees--For the selection, the candidates are expected to deposit such fees to the Selection Committee, as prescribed by the Government from time to time. No claim shall be accepted for the refund of fees.	

Column–1	Column–2
Existing Rules	**Rules as hereby Substituted**
	(3) **Inspection of records by the candidates**--After the payment of such fees as prescribed by the Government from time to time, candidates shall be permitted to inspect the relevant records concerning to the selection procedure and marks given by the Selection Committee under Part-4. If any candidate desires such, then after the payment of fees @ Rs. 2.00 per page, photo copies of such records shall be given.

By Order,

M. H. KHAN,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 02 सचिवालय प्रशा०/439–2007–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।